प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ......392/22...... दिनांक......30/09/2022

2. (I) अधिनियम ... धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
(II) अधिनियम .... धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ......537...................समय......6.10 p.m
(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– 23.03.2022 समय 5.05 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.03.2022 समय 12.05 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय वन विभाग धोलपुर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 200 कि0मी0 लगभग, पूर्व दिशा में
(ब)पता – कार्यालय वन विभाग धोलपुर
बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री रामनिवास
(ब) पिता / पति का नाम – श्री गोटीराम
(स) जन्म तिथी / वर्ष ....करीब 53 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय– खेतीबाडी
(ल) पता– निवासी हुसैनपुर थाना बाडी जिला धोलपुर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
श्री रनवीर सिंह पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल ग्राम हथियारवार पोस्ट भैसाना तहसील व जिला धोलपुर हाल सहायक वनपाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी एन.सी.एस. धोलपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... ....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– ....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ....

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री रामनिवास पुत्र श्री गोटीराम जाति गुर्जर उम्र 53 साल, निवासी हुसनपुर बाडी जिला धौलपुर ने दिनांक 23.03.2022 को समय 12.05 पीएम पर केवलादेव राष्टीय उधान के गेट के पास भरतपुर में पुलिस निरीक्षक श्री कप्तान सिंह को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि मेरे पिताजी के नाम ट्रेक्टर डीआई मैसी आर0जे0–11 आर 7500 है जो कृषि के काम में लेते है। इस ट्रेक्टर को मेरा भाई राजेन्द्र एंव मै स्वंय भी चलाता हूॅ। दिनांक 21.03.2022 को मेरा भाई उक्त ट्रेक्टर की ट्रोली में पत्थर मेरे खेत में कोटई को बनाने के लिए लेकर आ रहा था जिसको फोरेस्ट विभाग के रणवीर सिंह फोरेस्टर वन विहार ने पकड लिया है, जिसको छोडने की एवज में 51000 रूपये मांग रहा है, जिसमें से कुछ रूपयों की रसीद काटकर देने के लिए कह रहा है। मै रसीद के अलावा अन्य राशि रिश्वत के रूप में देना नही चाहता एंव उसको रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहाता हूॅ। उपरोक्त अधिकारी से मेरी कोई रंजिश नही है और ना ही मेरा उनके साथ कोई लेन देन बाकि है, कार्यवाही करने की कृपा करें। पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में अकिंत

तथ्य सही होना एंव लिखित रिपोर्ट कम पढा लिखा होने केवल हस्ताक्षर करना जानने के कारण अपने मिलने वाले से लिखवाकर लाना ताईद किया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री लोकेश कुमार 155 को मांग सत्यापन हेतु वन विभाग कार्यालय धौलपुर के लिए रवाना किया। तत्पश्चात समय करीबब 04.06 पीएम पर कानि श्री लोकेश कुमार ने पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि सदिग्ध आरोपी हमें कार्यालय में उपस्थित मिला जिसने परिवादी से उसके ट्रेक्टर को छोडने की एवज में रिश्वत की स्पष्ट मांग की है और परिवादी ने आपको रूपवास ही बुलाया है। इस पर पुलिस निरीक्षक कप्तान सिंह, गाडी सरकारी ड्रा0 श्री कैलाशचन्द के श्री लोकेश कुमार कानि0 व परिवादी के बताये अनुसार भरतपुर से कस्बा रूपवास धौलपुर बाईपास के लिए रवाना होकर समय करीब 05.05 पीएम कानि0 श्री लोकेश कुमार व परिवादी श्री रामनिवास के पास कस्बा रूपवास धौलपुर बाईपास पर पहुँचे, जहा पर परिवादी ने पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेपरिकॉर्डर पेश कर बताया कि साहब मै और आपका कानि0 श्री लोकेश कुमार आपके पास से रवाना होकर वन विभाग कार्यालय धौलपुर के नजदीक पहुँचे तो श्री लोकेश तो उस कार्यालय के बाहर ही रूक गया तथा मै डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर श्री रनवीर फोरेस्टर के पास गया तो वह मुझे अपने कार्यालय में मौजूद मिला जिनसे मैने मेरे ट्रेक्टर को छोडने के बारे में बात की तो उन्होने मुझसे मेंरा ट्रैक्टर छोडने की एवज में मेरे से 41,000 रूपये रिश्वत की मांग की और कहा कि इसमें से 21,000 रूपये की तो रसीद कटेगी और 20,000 रूपये मेरे है। मैने उनसे हुई सभी बातो को इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया और फिर बाहर आकर ये सभी बातें श्री लोकेश कुमार कानि0 को भी बताई। तत्पश्चात हम दोनों वहा से रवाना होकर रूपवास धौलपुर बाईपास पर आ गये और लोकेश कुमार ने आपसे जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया। तत्पश्चात रिकॉर्डशुदा टेपरिकॉर्डर को पुलिस निरीक्षक ने चालू कर सुना तो उसमें रिकॉर्ड वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसका ट्रैक्टर छोडने की एवज में 41,000 रूपये रिश्वत की मांग कर उसमें से 21,000 रूपये रसीद के लिये कहने एंव 20,000 रूपये स्वंय के लिए कहकर उक्त 41,000 रूपये दिनांक 26.03.2022 को कार्यालय में लेकर आने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। टेप रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 05.45 पीएम पर पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर दिनांक 26.03.2022 को समय 10.00 एएम पर बुलाने पर परिवादी को संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 41,000 रूपये साथ लेकर दिनांक 25.03.2022 को समय 04.00 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया जाकर मय हमराहीयान के वहा से कार्यालय के लिए रवाना होकर समय करीब 09.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल टेपरिकॉर्डर को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखा गया। इसके बाद दिनांक 25.03.2022 को समय करीब 03.00 पीएम पर स्वतन्त्र गवाह एंव महिला कानि तलबी बाबत विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा व पुलिस थाना कोतवाली को अलग–2 तहरीर जारी कर श्री रामखिलाडी कानि0 को हमराह देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.30 पीएम पर तलबी शुदा महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी 1056 पुलिस थाना कोतवाली दौसा कार्यालय में उपस्थित आई जिससे परिचय कर कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद कानि0 श्री रामखिलाडी रवाना शुदा दो स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी एंव श्री महेश कुमार महावर कनिष्ठ सहायक कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा को हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय करीब 04.50 पीएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामनिवास कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 41,000 रूपये बाबत पूछा गया तो परिवादी ने 40,000 रूपये अपने साथ लाना बताया। इस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा कि आरोपी ने तो 41,000 रूपये बाबत मांग सत्यापन में कहा है तो परिवादी ने बताया कि साहब मेरे पास 40,000 रूपये ही बने मै उनसे निवेदन कर लुगां, परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान से परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान बनने की स्वीकृति चाही तो

दोनों ने अपनी–2 सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी एंव श्री महेश कुमार महावर कनिष्ठ सहायक का परिचय परिवादी श्री रामनिवास से करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने लिखित प्राथना पत्र कम पढा लिखा होने पर अपने मिलने वाले से लिखवकर लाना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री रनवीर सिंह फोरेस्टर कार्यालय वन विभाग धौलपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी द्वारा विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 23.03.2022 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखा गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी से बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुद्वा वार्ता में आरोपी श्री रनवीर सिंह फोरेस्टर कार्यालय वन विभाग धौलपुर की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री रामनिवास द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु तीन खाली डीवीडी मगंवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों डीवीडीयों पर मार्क– A-1, A-2, A-3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री रामनिवास के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों डीवीडीयों को अलग–अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अकिंत कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर ईन्चार्ज मालखाना श्री बनवारीलाल शर्मा हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाई गई तथा तीसरी सी0डी0 मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान व महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी को दिनांक 26.03.2022 को समय 05.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया तथा स्टाफ को भी सुबह उक्त समय पर उपस्थित होने बाबत कहा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामनिवास से उसके किसी मिलने वाले के बारे में पूछा तो कोई मिलने वाला नही होना बताया तथा कहा कि मै आपके कार्यालय में ही रूक जाऊगा। इस पर परिवादी को कार्यालय में ही रोका गया। तत्पश्चात् दिनांक 26.03.2022 को प्रातः 5.30 ए.एम. पर उपस्थित आये दोनों स्वतन्त्र गवाहन सर्व श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी एंव श्री महेश कुमार महावर कनिष्ठ सहायक के समक्ष पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रामनिवास पुत्र श्री गोटीराम जाति गुर्जर उम्र 53 साल, निवासी हुसनपुर बाडी जिला धौलपुर को संदिग्ध आरोपी श्री रणवीर सिंह फोरेस्टर कार्यालय वन विभाग धौलपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000/–रू0 निकाल कर पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जिनके नम्बरो की लिखापढी कर फर्द पेशकशी एंव सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर पुलिस निरीक्षक एंव उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर फर्द के अनुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेश शुद्वा नोटों पर कानि0 श्री रामखिलाडी 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 40,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री रामखिलाडी 52 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामनिवास की जामा तलाशी गवाह श्री रामदयाल शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति

जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 40,000/--रू. के नोट कानि0 श्री रामखिलाडी 52 से परिवादी के पहने हुये कमीज की बगल की बाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपिया रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिसकॉल देकर पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में कानि0 श्री रामखिलाडी 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे शाबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले कानि0 श्री रामखिलाडी 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयॉ, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर प्रथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 06.31 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी के मोबाईल नम्बर 9672001558 से संर्दिध आरोपी श्री रणवीर सिंह फोरेस्टर के मोबाईल नम्बर 6350204626 पर आरोपी की उपस्थिति जाने बाबत कॉल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को बताया कि वह धौलपुर से बाहर व दिनांक 28.03.2022 को आने के लिए कहा गया। इस पर उक्त दिनांक को कार्यवाही नही होने पर पाऊडर युक्त रिश्वती राशि 40,000 रूपये को परिवादी के पहने हुये कमीज की जेब से श्री लोकेश कुमार कानि0 से निकलवाकर एक खाकी लिफाफे में रखवाकर सुरक्षा की दृष्टि से जमा मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत करवाया गया। इसके बाद समय करीब 07.00 एएम पर परिवादी श्री रामनिवास को दिनांक 28.03.2022 को समय 10.00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु धौलपुर में मिलने व गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया तथा साथ ही दोनों स्वतन्त्र गवाहान व महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी को भी दिनांक 28.03.2022 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने एंव गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 28.03.2022 को समय करीब 06.00 एएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी एंव श्री महेश कुमार महावर कनिष्ठ सहायक व श्रीमती निर्मला देवी महिला कानि0 कार्यालय में उपस्थित आई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री बनवारीलाल शर्मा हैड कानि0 से मालखाने में दिनांक 26.03.2022 को परिवादी से प्राप्त कर रिश्वती राशि पाऊडर युक्त 40,000 रूपये सुरक्षा की दृष्टि से लिफाफे में रखवाकर मालखाने में रखवाई गई थी को मालखाने से लिफाफे सहित निकलवाकर श्री प्रेमप्रकाश सैनी, सैनी कानि0 382 परिवादी को पेश करने हेतु सुपर्द की गई। इसके बाद समय करीब 07.30 एएम पर पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान

महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री मुकेशचन्द कानि0 101, श्री लोकेश कुमार कानि0 155, प्रेम प्रकाश सैनी कानि0 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एंव अन्य साजो सामान के जरिये राजकीय वाहन मय ड्राईवर श्री कैलाशचन्द के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही, वन विभाग कार्यालय धौलपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.15 पीएम पर गुलाब बाग चौराहा धौलपुर के नजदीक पहुँचा, जहां पर पूर्व का पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामनिवास उपस्थित मिला। जिस पर वाहन को रोड के एक साईड में भीड भाड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को गाडी में बैठाकर श्री प्रेमप्रकाश सैनी कानि0 382 से पूर्व की सुपुर्द शुदा रिश्वती राशि 40,000 रूपये को खाकी लिफाफे से बाहर निकलवाकर परिवादी के पहने हुये कमीज की बगल की बाई जेब में रखवाई गई तथा परिवादी को पूर्व की भांति मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर रिश्वत राशि के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को टेप करने के लिए परिवादी को सुपुर्द किया गया। इसके बाद श्री प्रेमप्रकाश सैनी कानि0 को वही छोडा जाकर परिवादी को परिवादी की मोटर साईकिल से वन विभाग कार्यालय धौलपुर के लिए रवाना कर उसके पीछे–2 पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व बाकि स्टाफ सदस्यों के सरकारी गाडी से रवाना होकर समय करीब 12.25 पीएम पर कार्यालय वन विभाग धौलपुर के नजदीक पहुचें। जहा पर दोनों वाहनों को रोड के एक साईड में पंन्चर की दुकानों के आस पास खडा करवाकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी के पास उसके द्वारा तय शुदा रिश्वती राशि देने हेतु उसके कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा बाकि स्टाफ सदस्य भी वाहन से नीचें उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–2 उपस्थिति छुपाते हुये वन विभाग कार्यालय धौलपुर के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 1.00 पीएम पर परिवादी श्री रामनिवास बिना कोई ईशारा किये हुये ही वन विभाग कार्यालय से बाहर निकलकर पुलिस निरीक्षक के पास आया और बताया कि साहब श्री रणवीर सिंह फोरेस्टर कार्यालय में उपस्थित नही मिला इस पर मैने उनके स्टाफ से पूछा तो एक घण्टे बाद आने के लिए कहा है। इस पर पुलिस निरीक्षक समस्त स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर वहा से रवाना होकर कस्बा धौलपुर रोड पर दोनों वाहनो को एक साईड में खडा करवाकर संदिग्ध आरोपी के आने का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 02.05 पीएम पर परिवादी श्री रामनिवास को उसकी मोटरसाईकिल से वन विभाग कार्यालय धौलपुर के लिए संदिग्ध आरोपी द्वारा तय शुदा रिश्वत राशि देने हेतु रवाना कर उसके पीछे–2 पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व बाकि स्टाफ सदस्यों के सरकारी गाडी से रवाना होकर कार्यालय वन विभाग धौलपुर के नजदीक पहुचें। जहा पर दोनों वाहनों को रोड के एक साईड में पैन्चर की दुकानों के आस पास खडा करवाकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी के पास उसके कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा बाकि स्टाफ सदस्य भी वाहन से नीचें उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–2 उपस्थिति छुपाते हुये वन विभाग कार्यालय धौलपुर के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 02.45 पीएम पर परिवादी श्री रामनिवास बिना कोई ईशारा किये हुये ही वन विभाग कार्यालय धौलपुर से बाहर निकलकर पुलिस निरीक्षक के पास आया और सुपुर्द शुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर पेश कर बताया कि साहब श्री रणवीर सिंह फोरेस्टर कार्यालय में कुछ देर बाद आया जिससे मैने मेरे ट्रेक्टर छुडाने बाबत बात कि तो उन्होने मुझे दिनांक 01.04.2022 को आने के लिए कहा तथा उनका और स्टाफ उपस्थित होने के कारण मेरे से और कोई वार्ता नही की। इस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर सूना तो उसमें कोई वार्ता टेप होना नही पाई गई जिस पर परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब हो सकता है श्री रणवीर सिंह फोरेस्टर अचानक मेरे पास आने पर मैने जल्द बाजी में चालू किया था इसलिए सही चालू नही हुआ हो। इस पर परिवादी की बातो को सही मानते हुये पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व परिवादी के वहा से रवाना गुलाब बाग चौराहा धौलपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 03.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा गुलाब बाग चौराहा पर उपस्थित आये एंव वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा किया गया, जहा पर कानि0 श्री प्रेमप्रकाश सैनी भी उपस्थित मिला। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को दिनांक 01.04.2022 को बुलाने के कारण

उक्त दिनांक को कार्यवाही सम्भव नही होने पर परिवादी से ट्रेप बाक्स में से एक खाकी लिफाफा निकलवाकर उसमें रिश्वती राशि 40,000 रूपये को रखवाकर श्री प्रेमप्रकाश सैनी कानि0 382 के पास सुरक्षित रखवाई गई। इसके बाद समय करीब 04.30 पीएम पर परिवाद को दिनांक 01.04.2022 को समय 10.00 एएम पर गुलाब बाग चौराहा धौलपुर पर ही उपस्थित मिलने की हिदायत कर रवाना कर पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान महिला कानि0 व स्टाफ सदस्यों के वहा से जरिये सरकारी वाहन रवाना होकर समय करीब 08.40 पीएम पर कार्यालय एसीबी दौसा पर उपस्थित आये। ट्रेप बाक्स एंव रिश्वती राशि 40,000 रूपये जो लिफाफे सहित कानि प्रेमप्रकाश के पास रखवाई गई थी को सुरक्षा की दृष्टि से कानि0 प्रेमप्रकाश से मालखाना ईन्चार्ज श्री बनवारीलाल शर्मा हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना में रखवाई गई। दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी को दिनांक 01.04.2022 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 01.04.2022 को समय करीब 05.30 एएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी एंव श्री महेश कुमार महावर कनिष्ठ सहायक व श्रीमती निर्मला देवी महिला कानि0 एंव स्टाफ सदस्य कार्यालय में उपस्थित आये। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री बनवारीलाल शर्मा हैड कानि0 को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली पाऊडर युक्त रिश्वती राशि जो दिनांक 28.03.2022 को सुरक्षा की दृष्टि से लिफाफे सहित श्री प्रेमप्रकाश कानि0 से मालखाने में रखवाई गई थी को लिफाफे सहित निकालकर श्री रामखिलाडी कानि0 52 को सुपुर्द करने बाबत कहा तो हैड कानि0 ने रिश्वती राशि लिफाफे सहित मालखाने से निकालकर कानि0 रामखिलाडी को सुपुर्द की, जिसको कानि0 से परिवादी को पेश करने हेतु सुरक्षित रखवाई गई। इसके बाद समय करीब 06.00 एएम पर पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री मुकेशचन्द कानि0 101, श्री लोकेश कुमार कानि0 155, रामखिलाडी कानि0 52 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एंव अन्य साजो सामान के जरिये प्राईवेट वाहन मय ड्राईवर के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही, गुलाब बाग चौराहा धौलपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 09.40 एएम पर गुलाब बाग चौराहा धौलपुर पर पहुँचा, जहा पर पूर्व का पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामनिवास अपनी मोटर साईकिल के उपस्थित मिला। परिवादी की मोटरसाईकिल व गाडी को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को गाडी में बैठाकर श्री रामखिलाडी कानि0 से पाऊडर युक्त रिश्वती राशि 40,000 रूपयों को लिफाफे से बाहर निकलवाकर नोटों को उपर नीचें करवाकर परिवादी के पहने हुये कमीज की बगल की बाई जेब में रखवाये गये तथा वक्त रिश्वती राशि लेन देन के समय परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को टेप करने के लिए डिजिटल टेपरिकॉर्ड बाद समझाईस परिवादी को सुपुर्द कर ईशारा सिर पर हाथ फेरने का बताया गया। तत्पश्चात परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी के पास उसके कार्यालय वन विभाग धौलपुर के लिए रवाना कर पुलिस निरीक्षक श्री रामखिलाडी कानि0 को वही छोडकर मय हमराहीयान के भी रवाना होकर समय करीब 11.00 एएम पर वन विभाग कार्यालय धौलपुर से कुछ पहले पिन्चर की दुकानों के पास पहुँचें, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में भीड भड वाली जगह पर खडा करवाकर एंव परिवादी को डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास उसके द्वारा तय शुदा रिश्वती राशि देने हेतु उसके कार्यालय के लिए रवाना किया तथा बाकि स्टाफ सदस्य भी वाहन से नीचें उतरकर पैदल–2 रवाना होकर वन विभाग कार्यालय के आस पास अपनी–2 उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का ईन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 11.25 एएम पर परिवादी श्री रामनिवास बिना कोई ईशारा किये हुये ही वन विभाग, कार्यालय से बाहर पुलिस निरीक्षक के पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि साहब मै अभी–अभी वन विभाग कार्यालय आपके निर्देशानुसार गया तो कार्यालय में मुझे श्री रणवीर जी फोरेस्टर साहब नही मिले उनके स्टाफ से पूछा तो बाहर जाना बताया। इस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की बातो सही मानते हुये संदिग्ध आरोपी नही होने पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से एवं बाकि स्टाफ सदस्यों को प्राईवेट वाहन में लेकर गुलाब बाग चौराहा धौलपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 11.50 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना

शुदा गुलाब बाग चौराहा पर उपस्थित आया, जहॉ पर कानि0 श्री रामखिलाडी भी उपस्थित मिला, तत्पश्चात् परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी का कार्यालय में उपस्थित नही होकर बाहर जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने पर परिवादी द्वारा पेश डिजिटर टेपरिकॉर्डर को चालूकर सुना तो उसमें संदिग्ध आरोपी व परिवादी की कोई वार्ता टेप होना नही पाई गई टेपरिकॉर्डर को बन्द कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक अन्य खाकी लिफाफा श्री रामखिलाडी कानि0 से निकलवाकर परिवादी से उसकी जेब से रिश्वती राशि 40,000 रूपये निकलवाकर लिफाफे में रखवाकर श्री रामखिलाडी कानि0 के पास सुरक्षित रखपाई गई तथा परिवादी श्री रामनिवास को समझाया गया कि जब भी संदिग्ध आरोपी उपस्थित होवे आप जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष सुचित करें एवं हमारे आने पर दिये गये समय पर यहॉ उपस्थित मिले तत्पश्चात परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर समय करीब 2.00 पीएम पर पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहन महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी एवं स्टाफ सदस्यों के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं साजो सामान के प्राईवेट वाहन मय ड्राईवर के रवाना एसीबी कार्यालय दौसा के लिए होकर समय करीब 06.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कार्यालय में उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स को जमा मालखाना करवाया गया, तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री रामखिलाडी कानि0 से 40,000 रूपये रिश्वती राशि नम्बरी जो परिवादी से लिफाफे में रखवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाई गई थी को लिफाफे सहित सुरक्षा की दृष्टि से श्री बनवारी लाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं महिला कानि0 श्रीमती निर्मला देवी को अपना मोबाइल फोन चालू रखने व बुलाने पर तुरंत कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद पुलिस निरीक्षक कप्तान सिंह का स्थानान्तरण होने पर कार्यवाही की पत्रावली दिनांक 11.04.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा को चार्ज में प्राप्त हुई जिन्होने पत्रावली का अवलोकन किया जाकर दिनांक 19.05.2022, 05.06.2022 व दिनांक 25.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी रामनिवास से पत्रावली में उपलब्ध उनके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया तो परिवादी मोबाईल फोन नोट रिचेबल होना पाया तथा परिवादी से कोई सम्पर्क नही हो सका। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक का स्थानान्तरण चौकी भरतपुर से चौकी दौसा पर होने पर कार्यवाही की पत्रावली दिनांक 10.08.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से चार्ज के दौरान पृथक से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई। इसके बाद दिनांक 09.09.2022 को समय करीब 04.35 पीएम पर परिवादी श्री रामनिवास कार्यालय में अपनेखुद उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से परिचय किया तो उसने अपना नाम रामनिवास पुत्र श्री गोटीराम निवासी हुसनपुर बाडी जिला धौलपुर होना तथा अपने से श्री रणधीर सिंह फोरेस्टर धौलपुर द्वारा अपने ट्रेक्टर जिससे ट्राली में पत्थर भरकर कोटई बनाने के लिए अपने खेत में ले जा रहा था को पकडना तथा फिर उसको छोडने की एवज में 51,000 रूपये की मांग कर उसमें से कुछ की रसीद काटकर देने के लिए कहने पर उसको रिश्वत नही देकर उसके खिलाफ रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाने की ट्रेप कार्यवाही करवाई जा रही थी। मांग सत्यापन में श्री रणवीर फोरेस्टर ने मेरे से मेरे ट्रेक्टर को छोडने की एवज में 41,000 रूपये रिश्वत की मांग कर उनमें से 21,000 रूपये की रसीद काटने तथा 20,000 रूपये अपने लिए मागें गये थे। आरोपी की मांग अनुसार मेरे द्वारा रिश्वती राशि 40,000 रूपये ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 26.03.2022 को पेश की गई थी। कार्यवाही के दौरान आरोपी ने मेरे को अपने कार्यालय में बुलाया था लेकिन मै उनके कार्यालय में गया तो वह अपने कार्यालय में नही मिला। काफी समय बाद वह मेरे को एक रोज बाजार में मिल गया तथा मुझे कहा कि आप मेरे विरूद्व एसीबी से कार्यवाही करवा रहे थे, मुझे सब पता है, अब मै आपसे न तो कोई बातचीत करूगां .और नही आपसे कोई पैसे की लेन देन करूगां। मैने उनको काफी मना किया लेकिन वह नही माना। मेरे द्वारा श्री रणधीर सिंह फोरेस्टर के विरूद्व करवाई जा रही कार्यवाही की उसको भनक लग चुकी है। अब वह न तो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करेगा और न ही रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्तालाप करेगा। अब तक मेरे बिमार हो जाने के कारण मै आपके कार्यालय में नही आ सका तथा न ही आपके मोबाइल नम्बर नही होने के कारण आपसे सम्पर्क कर सका। अतः आप मुझे मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई रिश्वती राशि

वापिस लौटाते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा करें। परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री रामदयाल शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी एंव श्री महेश कुमार महावर कनिष्ठ सहायक कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा को समय करीब 04.40 पीएम पर जरिये दूरभाष तलब किया गया तो वह कुछ समय बाद कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से परिचय कर परिवादी द्वारा बताई गई बातों से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री रणधीर सिंह फोरेस्टर के विरूद्व परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की उसको भनक लग चुकी है तथा संदिग्ध आरोपी को परिवादी पर पूरा सक होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन पुलिस निरीक्षक को अपने द्वारा दिनांक 26.03.2022 को संदिग्ध आरोपी की मांग अनुसार पेश की रिश्वती राशि 40,000 रूपये जिसकी फर्द पेशकशी एंव सुपुदर्गी नोट व दृष्टान्त फिनालफैथलीन एंव सोडियम कार्बोनेट पावडर तैयार की गई थी को वापिस लौटाने एंव अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 26.03.2022 को पेश की गई रिश्वती राशि 40,000 रूपये व उक्त कार्यवाही में उपयोग में ली गई नमूना पीतल की सील नम्बर 28 को मालखाने से श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116 ने पेश की। परिवादी को दोनों स्वत्रंत गवाहों के समक्ष जरिये फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि 40,000 रूपये लोटाये जाकर हस्ब कायदा फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर तथा फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री रामनिवास को कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद समय करीब 05.35 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने कार्यवाही में काम में ली गई पीतल की शील क्रमांक 28 को कानि0 श्री राकेश कुमार 70 से नष्ट करवायी जाकर फर्द नष्टीकरण पीतल की शील पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई एवं एक प्रति स्वतंत्र गवाह श्री रामदयाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र का रूखसत किया गया।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री रनवीर सिंह फोरेस्टर, कार्यालय वन विभाग धौलपुर एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री रामनिवास पुत्र श्री गोटीराम निवासी हुसनपुर बाडी जिला धौलपुर से उनको ट्रेक्टर ट्राली जिसमें पत्थर भरकर कोटई बनाने के लिए अपने खेत में ले जा रहे थे को पकडकर उसको छोडने की एवज में मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 23.03.2022 को 41,000 रूपये रिश्वत की मांग कर उनमें से 21,000 रूपये की रसीद काटने तथा 20,000 रूपये स्वंय के लिए मांग करना स्पष्ट रूप से पाये जाने पर उनका उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते दर्ज करने श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रनवीर सिंह, पुत्र श्री कन्हैया लाल, ग्राम हथियारवार, पोस्ट भैसाना, तहसील व जिला धौलपुर हाल सहायक वनपाल, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी एन.सी.एस. धौलपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 392/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक- 3418-22 दिनांक 30.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, वन विभाग, धौलपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

30.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।